निर्णय ब इजलास अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 21/2022 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. जगदीश प्रसाद लोहिया पुत्र स्व॰ श्री मालचंद लोहिया जाति अग्रवाल निवासी म॰नं॰ 5–ख–31, जवाहर नगर, जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

1. महेश लोहिया पुत्र श्री जगदीश लोहिया जाति अग्रवाल निवासी म॰नं॰ 5–ख–31 जवाहर नगर, जयपुर ।
2. श्रीमती पूनम लोहिया पुत्री श्री जगदीश लोहिया जाति अग्रवाल निवासी म॰नं॰ 5–ख–31 जवाहर नगर, जयपुर ।
3. ममता देवी पत्नी श्री महेश लोहिया जाति अग्रवाल निवासी म॰नं॰ 5–ख–31 जवाहर नगर, जयपुर ।
4. सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि॰ जवाहर नगर, जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक15.09.2022 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम प्रकरण संख्या 16/2019 ब उनवानी जगदीश प्रसाद लोहिया बनाम महेश लोहिया ।

उपस्थितः–
1. अपीलान्ट के प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3 के प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय **दिनांक 09.01.2023**

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के प्रकरण संख्या 16/2019 ब उनवानी जगदीश प्रसाद लोहिया बनाम महेश लोहिया व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.09.2022 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी 1 लगायत 3 की ओर से उनके प्रतिनिधि उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

4. अपीलार्थी कि प्रतिनिधि ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष लिखित बहस पेश करते हुए माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त सन्नीपाल बनाम स्टेट ऑफ एन सी टी ऑफ देहली का पेश किया था एवं दूसरा न्यायिक दृष्टान्त मोती बेन जडाबाई मालानी एज्युकेशन चेरिटेबल ट्रस्ट एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय श्रीकृष्ण चन्द हरविन्दर कौर बैरवा बनाम स्टेट आफ हिमाचल प्रदेश का भी पेश किया था एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा दिनांक 07.04.2022 को रिट पिटीशन संख्या 6089/2019 में दिनांक 07.04.2022 को पारित किया गया था जिसके तहत विरिष्ठ नागरिकों को इस अधिनियम के तहत उनके स्वयं की अर्जित सम्पत्ति को पुत्र एवं पुत्र वधु से 30 दिवस में खाली करवा कर कब्जा देने का आदेश पारित किया गया था, किन्तु अधीनस्थ अधिकरण ने उपरोक्त किसी भी न्यायिक दृष्टान्त का कोई हवाला नहीं दिया एवं अलौच्य निर्णय के तहत मात्र भरण पोषण की राशि आवेदनकर्ता को दोनों पुत्रों से 10000–10000 रूपये दिलाने का निर्णय पारित किया गया है जो सरासर गलत होने से अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनियम की धारा 23 के तहत वरिष्ठ नागरिक अपनी स्वयं की सम्पत्ति में अपने पुत्र पुत्रवधु व परिवार के किसी भी सदस्य को प्रेम तथा सहकार के अधीन दिये गये आवास की अनुमति को भी वापस ले सकता है और वह धारा 23 की परिधि से आवर्तित होती है और कब्जा खाली कराया जा सकता है। इस प्रकार का न्यायिक दृष्टान्त माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण हिम्मत सिंह बनाम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के प्रकरण में दिनांक 07.08.2018 को पारित किया है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा पारित दृष्टान्त शाहदाब खेरी बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली के न्यायिक दृष्टान्त का भी हवाला दिया है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त में यह मत प्रतिपादित किया है कि अधिनियम 2007 विधायिका द्वारा इस आयश से लागू किया गया है कि वृद्ध एवं वरिष्ठ माता पिता अधिकरण के समक्ष अपनी सम्पत्ति को बेदखल करवाने का आवेदन दायर कर सकते हैं एवं अधिकरण को यह क्षेत्राधिकाार प्राप्त है कि वह सम्पत्ति से कब्जा खाली करवा कर वरिष्ठ एवं वृद्ध माता–पिता को दिये जाने का आदेश पारित करने की अधिकारिता रखते है, किन्तु अधीनस्थ अधिकरण ने उक्त बन्दू पर कोई गौर नहीं कर आलौच्य निर्णय पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा प्रकरण संख्या 9/2019 उनवानी गीतारानी कपूरिया बनाम कोमल पूनिया व अन्य में दिनांक 28.04.2022 को अन्तर्गत धारा 2 (22) माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 के तहत मकान खाली करने का आदेश पारित किया गया है जिसकी प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत है । उक्त निर्णय में भी छत्तीसगढ उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्रमोद रंजनकार बनाम अरूणा शंकर एव उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एस विनिथा बनाम डिप्टी कश्मिनर एवं दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा पारित निर्णय सन्नीपाल बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली आदि निर्णयों का हवाला देते हुए मकान से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये गये है। जबकि अधीनस्थ अधिकरण ने अपने निर्णय में यह मत प्रकट किया है कि विवादित सम्पत्ति से वांछित अनुतोष सम्पत्ति विवाद की सुनवायी का क्षेत्राधिकार

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

न्यायालय को ही असहमति जताते हुय निष्कासन का आदेश पारित नहीं कर जो निर्णय पारित किया है वह अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में इस बात को कोई जिक नही किया कि मकान सं 5–ख–31 जवाहर जयपुर का एक मात्र मालिक स्वामी अपीलार्थी है जिसने उक्त मकान अपनी स्वयं की अर्जित आय से खरीद किया है, जो उसकी स्व अर्जित सम्पत्ति है और स्व अर्जित सम्पत्ति का एक मात्र मालिक है इस बाबत आवेदनकर्ता ने सम्पत्ति से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेजात अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष पेश कर दिये थे, किन्तु अधीनस्थ अधिकरण ने सम्पत्ति के मालिकाना हक के सन्दर्भ में भी किसी प्रकार का कोई मत प्रकट नहीं कर आलौच्य निर्णय पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है । ऐसी सूरत में अप्रार्थी प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3 के उक्त मकान से निवास करने का कोई हक व अधिकार नही है। अधिनियम की धारा 20(5) मे स्पष्ट रूप ये यह लिखा है हुआ कि अधिकरण वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति के सम्बन्ध में उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा, किन्तु अधीनस्थ अधिकरण ने सम्पत्ति अपीलार्थी जगदीश प्रसाद लोहिया के नाम है वह सम्पत्ति स्व अर्जित है, इसके संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को सम्पत्ति से बेदखल करने के आदेश पारित नहीं कर गम्भीर कानूनी त्रुटि कारित की है । जबकि अधिनियम का उद्वेश्य ही मात्र वरिष्ठ नागरिकों के जीवन एवं सम्पत्ति की रक्षा करने का है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण सन्नीपाल बनाम स्टेट ऑफ इनसीटी ऑफ देहली में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि वरिष्ठ नागरिक को इच्छा के विपरीत उसकी अचल सम्पत्ति में किसी को आवास करने का अधिकार नहीं है। चूंकि अपीलार्थी जो कि वरिष्ठ नागरिक है प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी के साथ मिसबिहेयर इलट्रिटमेंट जैसे कृत्य किये है । ऐसी सूरत में उन्हें वरिष्ठ नागरिक की अचल सम्पत्ति में रहने का कोई अधिकार नहीं माना गया है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त में उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त मोतीबेन जडावबाई मालानी एज्युकेशन एण्ड चेरिटटेबल ट्रस्ट का भी विवेचन किया गया और उक्त न्यायिक दृष्टान्त पर रिलाई किया गया है एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त श्री कृष्णाचन्द जी एवं हरविद्र कौर बेवा एवं स्टैट ऑफ हिमालच प्रदेश बनाम सतपाल सैनी के प्रकरणों मे यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि उक्त अधिनियम का उद्वेश्य विधायिका ने सामाजिक कल्याण एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रख कर किया गया। उक्त न्यायिक दृष्टान्त सन्नीपाल बनाम स्टैट ऑफ एनसीटी में माननीय दिल्ली उव्व्च न्यांयालय ने उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित सभी निर्णयों की विवेचना करते हुये अपीलार्थी सन्नीपाल की अपील का खारिज करते हुये अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश जिसके तहत मकान संख्या 19 को 10 दिवस में खाली करने का आदेश दिया गया था एवं मकान में रखे हुए सभी समान को अपीलार्थी को सुपुर्द करने का आदेश दिया गया था एवं संबंधित पुलिस थाने को निर्देश दिये गये थे कि याचि जो कि वरिष्ठ नागरिक है उसके विरूद्व अगर उसके पुत्रों द्वारा किसी प्रकार का कोई शारीरिक व मानसिक हरेसमेन्ट किया जाता है तो कार्यवाही की जावे एवं उसकी रिपोर्ट न्यायालय के समय 15 दिन में प्रस्तुत की जावे। इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टान्त से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालाय ने अपीलार्थी जिसने अपने परिवाद में इस आयश का अनुतोष चाहा था कि उसकी

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

स्वयं की अर्जित सम्पत्ति मकान संख्या 5–ख–31 जवाहर नगर जयपुर अप्रार्थी–अपीलार्थी संख्या 1 लगायत 3 से खाली करवाया जावे और यह भी अनुतोष चाहा था कि अपीलार्थी के साथ लडाई झगड़ा, गाली गालोच व मारपीट ना करे, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी का परिवाद पूर्णरूप से स्वीकार ना कर अधिनियम में बने नियम एवं प्रावधानों की पूर्णतया अनदेखी की है और आदेश पारित किया है जो सरासर गलत एवं अवैद्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.09.2022 को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3 को आदेशित किया जावे की अपीलार्थी का मकान संख्या 5–ख–31 जवाहर नगर जयपुर पर जो सामान रेस्पोडेन्ट का रखा है, उसे हटा कर खाली करके अन्दर मियाद 15 दिवस में भौतिक कब्जा अपीलार्थी को संभलाया जावे और अपीलार्थी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करने बाबत भी पाबन्द किया जाकर संबंधित पुलिस थाना जवाहर नगर जयपुर को आदेश दिये जावे कि अपीलार्थी को शारीरिक मानसिक रूप से प्रतिाड़ित किये जाने पर रेस्पोडेन्ट के विरूद्व विधि अनुसार कार्यवही की जावे।

प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3 के प्रतिनिधि का कथन है कि अधीनस्थ अधिकरण द्वारा बेदखली के बिन्दू पर सही निर्णय पारित किया गया, किन्तु भरण पोषण के मामले में धारा 9 (2) के तहत अधिकतम 10,000/– रूपये दिलाये जाने का ही प्रावधान है जिसके अधीनस्थ अधिकरण द्वारा 10,000–10,000 कुल 20,000/– रूपये दिलाने का आदेश पारित कर दिया जिसे संशोधित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

प्रथम, अपीलार्थी ने स्वयं के स्वामित्व की सम्पत्ति मकान नम्बर 5–ख–31 जवाहर नगर जयपुर से माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 की धारा 23 के तहत प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3 को बेदखल करने का अनुतोष चाहा है। धारा 23 के संबंध में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्तो में अन्तरण शब्द में केवल सम्पत्ति के पूर्ण अन्तरण को ही अन्तरण नहीं माना अपितु अन्तरण मे कब्जे के अन्तरण को भी माना है। प्रत्यर्थीगण को सम्पत्ति से बेदखल किये जाने वाले बिन्दू पर उभय पक्ष को सुन कर उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं इस सम्बन्ध में जारी न्यायिक दृष्टान्तों का विवेचन करते हुये तदनुसार नये सिरे से आदेश पारित किया जाना वाजिब समझते है। द्वितीय, माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत भरण पोषण हेतु आदेश की धारा 9 (2) इस प्रकार है– The maximum Maintenance allowance which may be ordered by such Tribunal shall be such as may be prescribed by the state Government which shall not exceed ten thousand rupees per month. अर्थात भरण पोषण की राशि प्रतिमाह दस हजार से अधिक नहीं होगी। जबकि अधीनस्थ अधिकरण द्वारा 10,000–10,000 कुल 20,000/–रूपये का आदेश पारित किया गया है जो अधिनियम के

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

प्रावधानों के विपरीत है, जिसे प्रावधानानुसार संशोधित किया जाना वाजिब समझते है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

8. माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर उपरोक्त विवेचनानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करे।

9. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16 (7) के तहत उभयपक्ष को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर फैसल शुमार हो।

10. निर्णय आज दिनांक **09.01.2023** सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर